न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 13/2024(GCMS 2024/20)
(आरटीआई संख्या 212375582487784)

साहबराम विद्यार्थी पुत्र स्व. श्री सुखपाल निवासी वार्ड नम्बर 19, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 94132–32806

बनाम

अति. जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी साहबराम विद्यार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर (स्थापना शाखा) से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2024 के द्वारा एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी साहबराम विद्यार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2024 द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों राजस्थान, जयपुर द्वारा आपको दिनांक 09.11.2023 पत्र क्रमांक भ्रनिब्यू/परि/2023/5577–15578 भेजकर प्रदीप खिचड़ अध्यक्ष तत्कालीन ई.ओ. पृथ्वीराज जाखड़ व तत्कालीन [illegible] अधिकारी, श्रीगंगानगर के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही [illegible] लिए पत्र प्रेषित किया था। आप द्वारा उसमें [illegible] आप द्वारा की गई कार्यवही की सत्यापित प्रमाणित कापी दी जावें। अगर कार्यवाही [illegible] की गई तो विलम्ब का कारण बतायें क्यों नहीं की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:34:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपने एफ1(23)( )स्था/2024/1632 दिनांक 27.03.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत चाही गई सूचना निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	चाही गई जानकारी	उत्तर
1	अति. पुलिस अधीक्षक (परि.)कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों राजस्थान, जयपुर का पत्रांक भ्रनिब्यू./परि./2023/15577—78 दिनांक 09.11.2023 के द्वारा श्री प्रदीप खिचड़ तत्कालीन अध्यक्ष, श्री पृत्वीराज जाखड़, तत्कालीन ई.ओ. व उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया था। आप द्वारा इसमें की गई कार्यवाही की सत्यापित /प्रमाणित कॉपी दी जावे।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जे) के अनुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2012 श्री गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डें बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग, अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित सूचनाऐं मिमों की प्रतियां, जांच आदि नोटिस एवं आदेश व्यक्तिगत श्रेणी में आते है, यानि संगठन एवं कर्मचारी/अधिकारी के बीच का मामला है। ये सूचनाऐं तभी सार्वजनिक हो जब व्यापक जनहित में आवश्यक हो। अतः आप द्वारा वांछित सूचना के संबंध में कोई व्यापक जनहित नहीं है, इसलिए वांछित सूचना नियमानुसार देय नहीं है।

प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को अपने [illegible]632 दिनांक 27.03.2024 से उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ञ)** निम्नानुसार अवलोकनीय है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:34:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

(ञ) सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का वह समाधान नही हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है।

उक्त के सम्बन्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 22/2009 अनवानी केनरा बैंक बनाम सी.एस. श्याम में दिनांक 31.08.2017 के पैरा संख्या 12 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :

We are in agreement with the CIC and the courts below that the details called for by the petitioner i.e. copies of all memos issued to the third respondent, **show-cause notices and orders of censure/ punishment, etc. are qualified to be personal information as defined in clause (j) of Section 8(1) of the RTI Act.** The performance of an employee/officer in an organisation is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression "personal information", the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which would cause unwarranted invasion of privacy of that individual. Of course, in a given case, if the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information, **appropriate orders could be passed but the petitioner cannot claim those details as a matter of right.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:34:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी है जिसमें किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक हित नहीं है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ज) के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना देय नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार **उक्त विवेचन के आधार पर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना को अधिकार के रूप में प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता।** आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरण पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई दायित्व नहीं डालता है जैसे कि क्यों, कैसे, कब और क्या। अपीलार्थी केवल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) में परिभाषित फाईल, दस्तावेज, कागजात या रिकॉर्ड आदि को इंगित करे विशिष्ट जानकारी मांग सकते है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:34:07 IST
Reason: SelfAttested